

नव भारत



5

धामी से मंत्री दिलावर ने शिष्टाचार भेंटकर की चर्चा

6

कोहली का कमाल, आरसीबी का धमाल

7

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति बढ़ी

8

वैभव ने पूरा किया 700 रन का सपना

अध्यक्ष-सचिव की छुट्टी

ऑन स्क्रीन मार्किंग और उससे जुड़े मामलों के लिए बनी जांच कमेटी

नई दिल्ली, 2 जून. देश की सबसे बड़ी स्कूली परीक्षा संस्था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कार्यप्रणाली, आंतरिक व्यवस्था और हाल में सामने आए विवादों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. सरकार के नए आदेश के अनुसार सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया है. साथ ही ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली और उससे जुड़े मामलों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सूत्रों के अनुसार परीक्षाओं के प्रबंधन, मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सामने आई तकनीकी और व्यावहारिक चुनौतियों तथा जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. गठित समिति को एक माह के भीतर



अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों और अभिभावकों की ओर से कई शिकायतें सामने आई थीं. उम्मीदवारों ने स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं के धुंधले दिखाई देने, कुछ पृष्ठों या अनुभागों के गायब होने तथा ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग में कठिनाइयों की बात कही थी.



विवाद उस समय और गहरा गया जब ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे. कॉपियों के डिजिटल मूल्यांकन, डेटा सुरक्षा, पुनर्मूल्यांकन में देरी और संबंधित तकनीकी व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न स्तरों पर चिंताएं जलाई गईं। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीट पेपर लीक प्रकरण और सीबीएसई के ओएसएम मामले

सीबीएसई के पोर्टल पर साइबर अटैक

नई दिल्ली, 2 जून. नई दिल्ली. सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन पोर्टल मंगलवार सुबह साइबर हमले का शिकार हुआ, जब हजारों छात्र 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणामों के अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए वेबसाइट का उपयोग कर रहे थे. बोर्ड ने बताया कि केवल दो मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट्स दर्ज किए गए और 1 लाख से अधिक अनधिकृत फाइल एक्सेस प्रयास हुए। इस हमले के बावजूद पोर्टल को पुनः चालू कर दिया गया और छात्रों को स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का मौका मिला.

की प्रगति पर लगातार नजर बनाए हुए थे. इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर यह कार्रवाई की गई.

पूर्व जज और बेटे समर्थ को 14 दिन की जेल

सीबीआई ने दोनों आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की

दोनों को जेल के खास सेल में रखे जाने का फैसला

नवभारत रिपोर्टर भोपाल, 02 जून. दिवशा शर्मा की मौत के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. सीबीआई की विशेष अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई. सीबीआई ने दोनों आरोपियों की रिमांड की मांग भी नहीं की. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को 16 जून तक जेल भेजने का आदेश दिया. अब भोपाल सेंट्रल जेल में आरोपियों को रखा गया है.

कोर्ट ने अन्य कैदियों से अलग गिरिबाला सिंह और समर्थ को रखने का आदेश दिया है. जानकारी के मुताबिक दोनों को जेल के खास सेल में रखे जाने का फैसला लिया गया है. गिरिबाला सिंह पूर्व जज रहे हैं और पद पर रहते हुए उन्होंने कई



कैदियों को सजा सुनाई है. जेल के अंदर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्हें खास महिला सेल में रखा गया है. इसके साथ ही उनके बेटे समर्थ सिंह पर जेल के अंदर किसी तरह का हमला न हो. इसका ध्यान देते हुए कोर्ट ने उन्हें भी खास पुरुष सेल में रखने के निर्देश दिए हैं. इससे पूर्व मामले में सीबीआई ने गिरिबाला और समर्थ को सीजेएम कोर्ट में पेश किया. मामले में लापरवाही बतलाने वाले एसआई को भी अब सीबीआई तलब करेगी.

बताया गया है कि सीबीआई की जांच में गिरिबाला सिंह और समर्थ ने दिवशा के साथ मारपीट और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज किया है. दिवशा के साथ दोनों ने अपने सामान्य सामान्य




व्यवहार को लेकर अधिकारियों के साथ जानकारी साझा की है. पूर्व जज और दिवशा के पति समर्थ के बयानों और सामने आए साक्ष्यों का मिलान सीबीआई कर रही है.

जानकारी के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने अपने बेटे समर्थ के साथ दिवशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव की तरफ से मारपीट करने का भी आरोप लगाया. गिरिबाला सिंह का आरोप है कि समर्थ के साथ जबलपुर कोर्ट में अनुराग ने मारपीट की थी. कोर्ट में सुनवाई के बाद मीडिया के सामने आकर अनुराग श्रीवास्तव ने इन आरोपों को निराधार बताया. अनुराग ने कहा कि समर्थ के साथ जिस घटना स्थल का जिक्र किया

इस मामले में दिवशा का शव, जिस लिगेचर बेल्ट पर कथित तौर पर देखे जाने का हवाला दिया गया और इस बेल्ट को लेकर लापरवाही करने वाले एसआई दिनेश शर्मा को सीबीआई जल्द ही तलब करने की तैयारी कर रही है. आरोप है कि शर्मा ने इस बेल्ट को दो दिन तक जमा नहीं कराया था और उसे लेकर वह अपनी कार में रखे थे. कोर्ट का आदेश मिलने के बाद पुलिस टीम गिरिबाला सिंह और समर्थ का मेडिकल चेकअप कराते हुए सेंट्रल जेल लेकर पहुंची.

जा रहा है. वहां सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा सकते हैं. उनकी तरफ से समर्थ के साथ किसी भी तरह की मारपीट नहीं हुई है. समर्थ को फरारी को लेकर अनुराग इस दौरान सवाल उठाया कि उन्हें बताना चाहिए कि वह कोर्ट के अंदर कहाँ छिपे थे. उन्होंने कहा कि अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है, जरूरत होने पर सीबीआई फिर दोनों को रिमांड पर ले सकती है. अभी कई जांच रिपोर्ट आना शेष है.

एक नजर में



अब इंतजार खत्म

मानसून की दस्तक करीब नई दिल्ली. देशभर में भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर सामने आई है. मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 4 जून को केरल में दस्तक दे सकता है. इसके साथ ही कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के 4 जून को केरल पहुंचने की संभावना है. पिछले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप में अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई. वहीं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात क्षेत्र में भी भारी वर्षा हुई. इस दौरान ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान अंचल प्रदेश में 70 से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से तेज हवाएं चलेंगी.

रिश्वत लेते एसबीआई मैनेजर गिरफ्तार

नई दिल्ली. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड के झुमरिया में तैनात एसबीआई के एक शाखा प्रबंधक को रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने मंगलवार को यहां बताया कि 31 मई को इस आरोप में मामला दर्ज किया गया कि आरोपी रोहित कुमार सिंह ने शिकायतकर्ता की दिवंगत मां से संबंधित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत दो लाख रुपये के दावे का निपटान करने के लिए 60,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी.

गुस्ताखी माफ

इस बार सूखे की आशंका

बारिश भी स्ट्रेट ऑफ होमुज से गुजरकर आगयी लगता है!




गृहमंत्री अमित शाह से मिले अन्नामलाई

दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद सौंपा पांच पत्रों का पत्र

चेन्नई/नई दिल्ली, 2 जून. तमिलनाडु में बीजेपी की अगुवाई कर चुके के. अन्नामलाई ने मंगलवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की. इसके बाद वह गृहमंत्री अमित शाह से भी मिले. के. अन्नामलाई ने नितिन नवीन को पांच पत्रों का इस्तीफा सौंपा. के. अन्नामलाई जल्द ही खुद इस फैसला का ऐलान कर सकते हैं।

इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट की. सूत्रों का कहना है कि गृहमंत्री अमित शाह ने अन्नामलाई को इंतजार करने के लिए कहा है.



अन्नामलाई वर्ष 2021 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे. पार्टी ने उन्हें तमिलनाडु इकाई की कमान सौंपी थी. प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई राजनीतिक अभियानों का नेतृत्व किया और राज्य में पार्टी के

विस्तार के लिए काम किया. हालांकि बाद में राजनीतिक परिस्थितियों और गठबंधन समीकरणों के चलते उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था. सूत्रों के अनुसार, अन्नामलाई ने अपने

1. अन्नामलाई को पिछले साल जब बीजेपी ने साइडलाइन किया था, तब उन्होंने न चाहते हुए केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को कबूल कर लिया था.
2. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई.
3. 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 1 सीट जीत पाई.
4. अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति करना चाहते हैं.
5. टीवीके की जीत ने द्रविड़ दलों के वर्चस्व को तोड़ दिया.

इस्तीफे में कई कारणों का उल्लेख किया है. उनके इस्तीफे के बाद यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि वह भविष्य में तमिलनाडु की राजनीति में नई भूमिका निभा सकते हैं.

वेदांता समूह के परिसरों पर ईडी की छापेमारी

नई दिल्ली, 02 जून. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में मंगलवार को अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांता समूह के परिसरों पर छापेमारी की.

यह छापेमारी वेदांता द्वारा अपनी मुख्य कंपनी वेदांता रिसोर्सिज को किए गए रॉयल्टी भुगतान की जांच के सिलसिले में समूह के मुंबई और दिल्ली स्थित कार्यालयों को जा रही है. इस मामले पर वेदांता के प्रवक्ता ने कहा कि हम अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहे हैं और मांगी गई सभी जानकारी



फेमा के उल्लंघन का आरोप

उपलब्ध करा रहे हैं. कंपनी सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है. चूंकि यह मामला अभी नियामक प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए हम इस स्तर पर आगे कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कंपनी अपने कारोबार को चार नई सूचीबद्ध कंपनियों में बांटने (डी मर्जर) की प्रक्रिया में जुटी है.

फोन पर राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू भिड़े

ट्रंप ने नेतन्याहू को लेबनान हमलों पर फटकारा

ट्रंप ने बातचीत को सकारात्मक और उपयोगी बताया

वाशिंगटन, 02 जून. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू को लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को लेकर कड़ी फटकार लगाते हुए संयम बरतने की सलाह दी है.

एक्सप्रैस की रिपोर्ट के अनुसार श्री ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में श्री नेतन्याहू को पागल बताया और उन पर कृतघ्न होने का आरोप लगाया. रिपोर्ट में कहा गया है कि बातचीत के दौरान एक समय श्री ट्रंप ने ऊंची आवाज में



पूछा, आप आखिर कर क्या रहे हैं? यह कथित बातचीत उस समय हुई जब नेतन्याहू ने इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) को बेरूत के दायिह्य क्षेत्र में हिजबल्ला के ठिकानों पर हमला करने का

आदेश दिया था. इजरायली सेना द्वारा जमीनी अभियान तेज किये जाने और वर्षों में पहली बार लेबनान के भीतर अधिक गहराई तक प्रवेश करने के कारण दक्षिणी लेबनान में हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं.

श्री नेतन्याहू ने रविवार को जारी एक बयान में कहा था कि उन्होंने सेना को लेबनान में अपने जमीनी अभियान का विस्तार करने का निर्देश दिया है. इजरायल ने नवातिह्यह शहर के निकट एक रणनीतिक पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक ब्यूरोट किले पर भी कब्जा कर लिया है. इजरायली सेना ने इससे पहले 1982 में इस 12वीं शताब्दी के किले पर कब्जा किया था और लेबनान से वापसी करने तक 18 वर्षों तक उस पर नियंत्रण बनाये रखा था.

800 करोड़ के निवेश घोटाले पर सीबीआई का कड़ा वार

धन के प्रवाह और संपत्तियों की भी रही पड़ताल

मुख्य साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी से जांच को मिली गति

नई दिल्ली/देहरादून, 2 जून. उत्तराखंड के चर्चित लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिप्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एल्यूसीसी) चिटफंड घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो प्रमुख आरोपियों को महाराष्ट्र के मुंबई से गिरफ्तार किया है. एजेंसी के अनुसार, दोनों आरोपी इस कथित वित्तीय घोटाले

के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल हैं और निवेशकों से एकत्र की गई धनराशि के प्रबंधन तथा उसके कथित दुरुपयोग में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. सीबीआई ने बताया कि गिरफ्तारी व्यापक जांच, वित्तीय दस्तावेजों के विश्लेषण, बैंक खातों की पड़ताल और विभिन्न राज्यों में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर की गई है. जांच में सामने आया है कि उत्तराखंड में एक लाख से अधिक लोगों को विभिन्न निवेश योजनाओं में धन लगाने के लिए आकर्षित किया गया था. प्रांरिक आकलन के अनुसार, निवेशकों से जुटाई गई राशि करीब 800 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

प्रधानमंत्री रिसर्च चेंबर योजना के लिए आवेदन शुरू

नई दिल्ली, 02 जून. शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानमंत्री रिसर्च चेंबर (पीएमआरसी) योजना 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गये हैं.

शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पीएमआरसी केंद्र सरकार की एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में कार्यरत भारतीय मूल के उत्कृष्ट शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और पेशेवरों को भारत के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से वैश्विक भारतीय



प्रतिभाओं को भारत के तेजी से विकसित हो रहे अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ा जायेगा. योजना के तहत राष्ट्रीय महत्व के 13 प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जायेगा. इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग, ऊर्जा आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 37

सीजेआई सूर्यकांत ने 5 नए जजों को दिलाई शपथ

नई दिल्ली, 02 जून. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के पांच नए न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसके साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई है.




जस्टिस शील नाग



जस्टिस चंद्रशेखर



जस्टिस संजीव सचदेवा



जस्टिस अरुण पल्ली



वकील वी. मोहना

मंत्रो अर्जुन राम मेघवाल ने 'एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन पांचों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है.

नए जजों का संक्षिप्त परिचय जस्टिस शील नाग- मई 2011 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने. जुलाई 2024 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने.

जस्टिस चंद्रशेखर- जनवरी 2013 में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए. जनवरी 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला. जस्टिस संजीव सचदेवा- अप्रैल

2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने, मार्च 2015 में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए. जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने. जस्टिस अरुण पल्ली-दिसंबर 2013 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने. अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए.

वकील वी. मोहना- सुको में वकील हैं. उन्होंने दीवानी और सेवा कानून से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामलों में वकालत की है.